(351)

FIVE RUPEES INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय – श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र क्र R ..../11 निगरानी R-1156-III/2011

1– बादामी बाई पत्नी रघुवर

2– रघुवर पुत्र रमले दोनों जाति कुशवाह

निवासी ग्राम तिलौजरी तहसील कैलारस

जिला मुरैना.................................. आवेदक

बनाम

राजेश पुत्र हरिशचन्द जाति शाक्य निवासी

ग्राम पिपरोनिया तह0 कैलारस जिला मुरैना

.... अनावेदक

कृष्ण शर्मा अभि० आज दिनांक 22-7-2011 प्रस्तुत 1

22-7-11

ASO

22-7-11

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 07/07/2011

न्यायालय–श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना (म.प्र.)

प्र.क्र. 123/10–11 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

श्रीमान जी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न लिखित प्रस्तुत है –

1) यह कि ग्राम तिलौजरी तहसील कैलारस जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 2136 रकवा 63 आरे पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर विवादित भूमि पर सन 1984 से आज दिनांक तक अतिकृमण होकर आवेदिका कास्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती चला आ रही है ।

2) यह कि अनावेदक के हक मे तहसीलदार कैलारस के प्र.क्र. 10/01–02×अ/19 में पारित आदेश दिनांक 30/04/2000 द्वारा पट्टा प्रदान कर दिया ।

3) यह कि आवेदिका द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल के समक्ष निगरानी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन होकर कायमी एवं स्थगन पर मान्यनीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय द्वारा बहस श्रवण की जाकर आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया है ।

4) यह कि अनावेदक द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी वाद आवेदक के विरूद्व न्यायायलय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1156-तीन/11 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	